



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

पत्रांक : उ0शि0आयोग/सी-885/1378 (U)/2022-2023

दिनांक : 23 नवम्बर, 2022

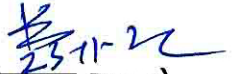
प्रेस-विज्ञापि (10)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के कार्यरत/रिक्त पदों हेतु आदेश संख्या-978/सत्तर-1-2019-16(29)/2019 दिनांक 02.09.2019 के क्रम में गठित समिति द्वारा 100 प्वाइंट रोस्टर निर्धारित किया गया था जिसके क्रम में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज के पत्र दिनांक 13.05.2022 द्वारा कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, कानपुर के संस्कृत विषय में 01 पद अनुसूचित जाति श्रेणी में अधियाचित किया गया था जिसे आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-51 में विज्ञापित किया गया है।

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज ने पत्रांक-डिग्री अर्थ-1(आयोग)/578/2022-23 दिनांक 11.11.2022 द्वारा कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, कानपुर के पूर्व अधियाचित संस्कृत विषय के 01 पद को अनुसूचित जाति के स्थान पर अनारक्षित श्रेणी में संशोधित करते हुए अधियाचन प्रेषित किया गया है।

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज के पत्र दिनांक 11.11.2022 द्वारा कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, कानपुर के संस्कृत विषय में अधियाचित 01 पद को अनुसूचित जाति वर्ग के स्थान पर अनारक्षित श्रेणी में संशोधित सम्बन्धी आयोग की बैठक संख्या-1187 दिनांक 22.11.2022 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व अधियाचित रोस्टर में उक्तानुसार संशोधित समझा जाय।

सचिव
उ0शि0 आयोग


(दयानन्द प्रसाद)

सचिव

